# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 12/2018**

**बउनवान**

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

**बनाम**

ओमप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रावल जावल पुलिस थाना मांगरोल जिला बाराँ (गैरसायल)

**इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3**

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (गैरसायल)

**निर्णय दिनांक 05.10.2021**

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल ओमप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रावल जावल जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा जैसी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2009 से 2018 तक की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्व धारा 41/110 सी0आर0पी0सी के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाते है जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल के कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जाकर इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:15 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 29.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि** गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2009 से 2018 तक की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्ध 41/110 सी0आर0पी0सी0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

**गैरसायल के अभिभाषक द्वारा** उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि परिवाद में जिन तीन प्रकरणों का वर्णन किया गया है, उनसे संबंधित एफ.आई.आर व चार्जशीट प्रार्थी को नहीं दी गयी है। इसलिए उनके संबंध में जवाब प्रस्तुत करना संभव नहीं है तथा चार्जशीट पेश किया जाना अस्वीकार है। जिन तीन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है, उनमें एक प्रकरण वर्ष 2009 का बताया है तथा मात्र 100/– रूपये जुर्माना करना कथन किया है परंतु निर्णय की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है । दूसरा प्रकरण वर्ष 2017 का है जिसमें भी 200/– रूपये जुर्माना होना अंकित किया है तथा तीसरा प्रकरण वर्ष 2018 का है जो पेंडिग कोर्ट में होना अंकित किया है जिसके सम्बन्ध में भी एफ. आई.आर. चार्जशीट प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है। पुलिस द्वारा इस्तगासा में प्रस्तुत तीनों प्रकरण अंतर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के अंतर्गत अंकित होना कथन किया है जो मिथ्या मुकदमे है जिनमें आम नागरिक को शिकायत नहीं है न हीं कोई स्वतंत्र व्यक्ति गवाह हैं। प्रार्थी का किसी भी आम नागरिक के विरूद्ध लड़ाई–झगड़ा या अन्य आपराधिक कृत्य करने की कोई शिकायत नहीं है जिससे क्षेत्र में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की दहशत महसूस नहीं की जा रहीं है। कथित दर्ज प्रकरण पुलिस द्वारा ही मिथ्या आधारों पर अपना टारगेट पूर्ण करने के उद्देश्य से किसी के भी खिलाफ झूठे दर्ज किए जाते है जिन पर सत्य होने का विश्वास किया जाना अनुचित व अवैधानिक है। प्रार्थी का किसी भी व्यक्ति के साथ गंभीर वारदात करने की संभावा व भय होना प्रमाणित नहीं होता है। अतएव जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद/इस्तगासा निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी को दोषमुक्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:15 IST
Reason: SelfAttested

**अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक** की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2009 से 2018 तक की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि ओमप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रावल जावल जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल ओमप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रावल जावल जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल ओमप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रावल जावल जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मांगरोल जिला बाराँ क्षेत्र से 07 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अयाना जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 21.10.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **05.10.2021** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

**( बृजमोहन बैरवा )**
**अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:15 IST
Reason: SelfAttested